

27. Grievance Redressal Committee

S.No.	Particulars	Details of members
1	Composition	<ol style="list-style-type: none">1. Mr. Sharad Kumar Kaushik, Asst. Prof.-Incharge2. Dr. Sanjay Pandey, HOD, MBA-Member3. Dr. (Smt.) Reena Nashine, HOD, Chem.-Member4. Dr. Shanu K Rakesh, Associate. Prof., CSE -Member5. Mr. J.P. Singh, Asst. Prof., CSE -Member
2	Mechanism	<ul style="list-style-type: none">➤ Individuals may reach out to any member of the cell through approaches such as in-person visits, telephone calls, written correspondence, or emails.➤ The identity of the complainant is kept confidential.➤ Written complaints should be directed to the Principal.➤ If a complaint is made to any presiding officer or committee member, they may choose to forward it to the Principal.➤ The cell conducts meetings with the complainants to better understand the nature and severity of the issue.➤ These meetings with complainants can be conducted individually or involve all relevant parties, as deemed appropriate by the committee.➤ The committee thoroughly discusses the problem and, if necessary, contacts relevant individuals to ascertain the facts.➤ Adequate opportunities are provided for both parties to present their evidence.➤ Time may be granted as needed.➤ The committee critically examines all aspects of the complaint.➤ The primary aim is to resolve the matter through counseling, but the severity of the situation may influence the approach.➤ If warnings or counseling prove ineffective, the committee may recommend appropriate sanctions.➤ The final decision rests with the Principal.
3	Responsibilities	<ul style="list-style-type: none">➤ To address various concerns raised by staff and students pertaining to the institute and its surroundings.➤ To establish an organizational structure for addressing grievances from both students and staff.➤ The aim of the grievance cell is to foster a responsive and accountable mindset among all members, fostering a harmonious educational environment within the institute.



OFFICE OF THE PRINCIPAL,
CHOUKSEY ENGINEERING COLLEGE

Lal Khadan, Masturi Road, Bilaspur (C.G.) 495004. Ph.No. : 7746099991, 7746099992

No. : CEC /OC/20/290

Date: 12.02.2020

To,

Mr. Narendra Kumar Saw
Janjgir-Champa (C.G.) 495668,
Mob. No. 8581881347,
Mail Id. ascnarendra24@gmail.com

Sub. : Regarding cancel of admission.

Ref.:- Your application dt. 06.02.2020

As you have already mentioned in your application that due to your year back you do not be able to process further to give exam of 3rd & 4th semester. On the basis of this it is clear that due to back you have to discontinue your studies for 3rd semester of M.Tech.

Further this is to inform you that after appearing in back paper and with the hope to pass the papers to be qualified for admission in 3rd semester you paid the required fee. The classes of 3rd semester was going on as per schedule.

After notification of result of back paper you unluckily failed in the back paper and cannot be eligible to continue your 3rd semester studies.


On the aforesaid condition and as per rule 8.5 of admission rule you are not entitled to get refund of fee of 3rd semester for which you have requested.


I/c Principal

Chouksey Engineering College
Bilaspur (C.G.)

Copy to:-

✓ The Registrar, Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Newai, P.O.-
Newai, District - Durg (Chhattisgarh) PIN-491107 in continuation tour office letter no.
151 dt. 22.01.2020.





OFFICE OF THE PRINCIPAL,
CHOUKSEY ENGINEERING COLLEGE

Lal Khadan, Masturi Road, Bilaspur (C.G.) 495004. Ph.No. : 7746099991, 7746099992

No. : CEC /CSVТУ/ 20/712

Date: 04.09.2020

To,

The Registrar
Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University,
Newai, P.O.- Newai,
District - Durg (Chhattisgarh) PIN 491107

Sub. : Regarding refund of fees of Mr. Narendra Kumar Saw.

Ref.:- CSVТУ E-mail dt. 04.09.2020 at 02:17 PM

Sir,

As per the above subjected & referred letter, this is to clarify that:-

1. Mr. Narendra Kumar Saw's activities are in chronological order as per below:-

S.No.	Date	Activity	Annex.
1	29.06.2018	Candidate had taken admission in the institute	1
2	23.10.2018	Declaration of Candidate	2
3	01.08.2018	Starting date of 1 st semester exam	3
4	15.01.2019	Starting of 2 nd Sem. Classes	4
5	15.02.2019	Declaration of 1 st sem. Result	3
6	22.07.2019	Start of 3 rd Sem. Classes	5
7	29.08.2019	Fee of 3 rd Sem. deposited	6
8	13.09.2019 (As per academic calendar it was 12.07.2019)	Result of 2 nd sem. declared	4
9	27.11.2019	Request for relaxation in fee for Re-admission	7
10	06.02.2020	Request for cancellation of 3 rd sem admission	8

Narendra Kumar Saw was student of this college and he had attended regularly in 1st, 2nd & 3rd semester classes. With all the students of his batch he had taken admission in 3rd semester and he attended the classes. He had been failed in one subject of 1st semester but he was eligible for higher semester as per university rule. But he failed in 2nd semester in 3 subjects, so he was not eligible to appear in the examination in higher semester as per university rule. As the 3rd semester class started from 22.07.2019 but the result of 2nd semester declared on 13.09.2019 during this he had attended the classes.



OFFICE OF THE PRINCIPAL,
CHOUKSEY ENGINEERING COLLEGE

Lal Khadan, Masturi Road, Bilaspur (C.G.) 495004. Ph.No. : 7746099991, 7746099992

On 27.11.2019 he wanted to take re-admission in M.Tech (Production Engineering), so he requested for relaxation in fees for re-admission. In the mean while he suddenly changed his decision of re-admission to cancellation of admission and applied for the same on 06.02.2020.


As it is clear that he had deposited 3rd semester fees and for which he attended the classes unfortunately he failed and was not eligible to appear in examination. He had requested for cancellation of admission after the completion of odd semester session 2019-20 (i.e. July to Dec. 2019).

None of the members of management, staff of our institute have threatened him..

The blame imposed by him that college management had threatened him is purely wrong and this is just a sign of frustration of not able to complete the course.

In the similar context, I want to put the decision of Hon'ble High Court of Chhattisgarh Writ Petition (C) No. 1707/2016 for your ready reference. (Please refer annexure-9).

Encl.:- As above.


PRINCIPAL
Principal
CHOUKSEY ENGINEERING COLLEGE
Chouksey Engineering College
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL,

CHOUKSEY ENGINEERING COLLEGE

LalKhadan, Masturi Road, Bilaspur (C.G.) 495004. Ph.No.: 7746099991, 7746099992

No. : CEC /CSVTU/21/ 1398

Date: 11.12.2021

आदेश

निम्नांकित विद्यार्थियों की कतिपय अनुशासनहीन गतिविधियों में सलिप्तता की सूचना एवं शिकायत महाविद्यालय प्रबंधन को प्राप्त हुई। महाविद्यालय प्रबंधन के निर्देशानुसार अनुशासन समिति द्वारा दिनांक 11/12/2021 को प्रकरण की जांच की गयी। जांच में निम्नांकित विद्यार्थियों को दोषी पाया गया। अनुशासन समिति की अनुशंसा पर दोषी पाये गये उक्त सभी विद्यार्थियों को दिनांक 13/12/2021 से 22/12/2021 तक कक्षा एवं छात्रावास से निलंबित किया जाता है। भविष्य में इस तरह की कोई भी शिकायत पाये जाने पर महाविद्यालय से बर्खास्त किया जायेगा।

SNO	Name of Student	Branch	Year	Sign
1	Vishal Yadav	Mech	1st	Mukesh
2	Narendra Dhruw	Mech	1st	Dinesh
3	Keshav Singh Dhruw	Mech	1st	Dinesh
4	Chandrashekhar Singh	Civil	1st	Chandrashekhar
5	Anurag Vishwakarma	Civil	1st	Anurag
6	Shrishti Kewat	CSE	1st	Shrishti

-8461812289
(Raj Shekhar
Unle)

Copy to:

- 1) Respected MD Sir for information.
- 2) Principal, CEC Bilaspur
- 3) OSD, Chouksey group ललीता
- 4) A.O. — " —
- 5) First year coordinator, CEC Bilaspur
- 6) Hostel warden, Chouksey group फोर
- 7) Notice Board.

O/C


अध्यक्ष


(अनुशासन समिति)
चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज
बिलासपुर (छ ग)

अनुशासन समिति की बैठक कार्यवाही विवरण


दिनांक 11.12.2021 को अनुशासन समिति के द्वारा छात्र-छात्राओं विशाल यादव, मैकेनीकल, नरेंद्र ध्रुव, मैकेनीकल, केशव सिंह ध्रुव मैकेनीकल, चंद्रशेखर सिंह, सिविल, अनुराग विश्वकर्मा, सिविल एवं सृष्टि केवट, सीएसई विभाग के प्रकरण की विस्तृत जांच की गई। जांच के दौरान संलग्न प्रत्येक विद्यार्थी का बयान एवं प्रतिपरीक्षण हुआ।


समिति की रिपोर्ट के आधार पर संलग्न विद्यार्थियों को 10 दिनों के लिए महाविद्यालय से निलंबित किया जाता है। यह भी निश्चित किया गया कि भविष्य में अनुशासनहीन गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर इन्हें महाविद्यालय से बर्खास्त किया जा सकता है।

- संदर्भ:- 1. दिनांक 07.12.2021 को छात्रावास के छात्र विशाल व अन्य छात्रों के कमरे में नरेंद्र के नेतृत्व में केशव, चंद्रशेखर व अनुराग का बिना छात्रावास अधीक्षक की अनुमति के जाना और कथित तौर पर उन्हें धमकाना। इसी दिन शाम को पास के मोड़ पर छात्रों के बीच झूमाझटकी, नरेंद्र से बैग व लाठी, गार्ड द्वारा जब्त। (बैग में आपत्तिजनक सामग्री बरामद)
2. आगे की पड़ताल में प्रकरण में छात्रा सृष्टि का नाम सामने आना।
3. दिनांक 08.12.2021 को प्रबंधन के समक्ष विद्यार्थियों को समझाइश तथा संलग्न समस्त विद्यार्थियों का आश्वासन कि आगे कुछ नहीं होगा।
4. दिनांक 10.12.2021 को छात्र विशाल की शिकायत कि लाल खदान में छात्र अनुराग द्वारा विशाल को कथित तौर पर मारने हेतु दौड़ाया गया।
5. दिनांक 11.12.2021 को अनुशासन समिति के समक्ष मामले की विस्तृत जांच।



डॉ. शुभलक्ष्मी तिवारी
विभागाध्यक्ष


डॉ. बरूण यादव
विभागाध्यक्ष


श्रीमती आनू के राकेश
विभागाध्यक्ष


डॉ. शलिष देवागन
विभागाध्यक्ष


डॉ. एम.एस. शाहिद
विभागाध्यक्ष



डॉ. मनोजीत डे
सहायक प्राध्यापक



श्री सचिन मेश्राम
विभागाध्यक्ष


श्री राजीव वैद्य
सहायक प्राध्यापक

सुश्री उषा जायसवाल
सहायक प्राध्यापक


श्री विकास चंद्रा
सहायक प्राध्यापक


श्री ए.के. जैन
सहायक प्राध्यापक


श्री जे.पी. सिंह
सहायक प्राध्यापक



चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस

लाल खदान मस्त्री रोड, बिलासपुर (छ.ग.) 495004 फोन: 7746099991, 7746099992

No. : CEC /Order/22/1290

Date: 28.09.2022

आदेश

निम्नांकित विद्यार्थियों की कतिपय अनुशासनहीन गतिविधियों में संलिप्तता की सूचना एवं शिकायत महाविद्यालय प्रबंधन को प्राप्त हुई। महाविद्यालय प्रबंधन के निर्देशानुसार अनुशासन समिति द्वारा दिनांक 27.09.2022 को प्रकरण की जांच की गयी। जांच में निम्नांकित विद्यार्थियों को दोषी पाया गया। अनुशासन समिति की अनुशांसा पर दोषी पाये गये उक्त सभी विद्यार्थियों के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिया गया।

1. निम्नांकित विद्यार्थियों (सरल क्रमांक 1 से 4) को दिनांक 29.09.2022 से 08.10.2022 (10 दिन) तक एवं विद्यार्थियों (सरल क्रमांक 5 से 6) को दिनांक 29.09.2022 से 15.10.2022 तक कक्षा से निलंबित किया जाता है तथा छात्रावास में निवासरत छात्रों को अपना नो-ड्यूस कराकर दिनांक 30.09.2022 तक अनिवार्य रूप से छात्रावास रिक्त करने के लिए आदेशित किया जाता है।

S. No.	Name of student	Branch	Sem.	Sign.
1	Amardeep Sahu	Civil	7 th	
2	Ved Prakash	ET&T	7 th	
3	Gulshan Chandra	B. Pharmacy	4 th	
4	Ghanshyam Sahu	B. Pharmacy	4 th	
5	Amit Rajput	EEE	7 th	
6	Kamal Kishore	Civil	7 th	

2. छात्र मयंक लाडे, बी.कॉम तृतीय वर्ष एवं तुषार साहू के संबंध में निर्णय लिया गया है कि संबंधित छात्रों के अभिभावक जब तक अनुशासन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तब तक कक्षाओं एवं छात्रावास से निलंबित रहेंगे।
3. छात्र कमल किशोर एवं अमित राजपूत को अपने अभिभावकों के साथ 3 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से उपस्थित होना है अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित छात्रों द्वारा भविष्य में इस तरह की कोई भी शिकायत पाये जाने पर महाविद्यालय से बर्खास्त किया जायेगा।

1) Mayank Lade :-

2) Tushar Sahu :-

अध्यक्ष

अनुशासन समिति
चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस
बिलासपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

1. आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य, सीईसी, बिलासपुर।
3. प्राचार्य, एसओपी, सीईसी, बिलासपुर।
4. ओएसडी, चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, बिलासपुर।
5. प्रशासनिक अधिकारी/रजिस्ट्रार, चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, बिलासपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष, चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, बिलासपुर।
7. छात्रावास अधीक्षक, चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, बिलासपुर।
8. नोटिस बोर्ड, सीईसी एवं एसओपी, सीईसी, बिलासपुर।
9. थाना प्रभारी, तोरवा थाना, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।



चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस

लाल खदान मस्तुरी रोड, बिलासपुर (छ.ग.) 495004 फोन: 7746099991, 7746099992

No. : CEC /Order/22/12-90

Date: 28.09.2022

आदेश

निम्नांकित विद्यार्थियों की कतिपय अनुशासनहीन गतिविधियों में संलिप्तता की सूचना एवं शिकायत महाविद्यालय प्रबंधन को प्राप्त हुई। महाविद्यालय प्रबंधन के निर्देशानुसार अनुशासन समिति द्वारा दिनांक 27.09.2022 को प्रकरण की जांच की गयी। जांच में निम्नांकित विद्यार्थियों को दोषी पाया गया। अनुशासन समिति की अनुशासा पर दोषी पाये गये उक्त सभी विद्यार्थियों के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिया गया।

1. निम्नांकित विद्यार्थियों (सरल क्रमांक 1 से 4) को दिनांक 29.09.2022 से 08.10.2022 (10 दिन) तक एवं विद्यार्थियों (सरल क्रमांक 5 से 6) को दिनांक 29.09.2022 से 15.10.2022 तक कक्षा से निलंबित किया जाता है तथा छात्रावास में निवासरत छात्रों को अपना नौ-ड्यूस कराकर दिनांक 30.09.2022 तक अनिवार्य रूप से छात्रावास रिक्त करने के लिए आदेशित किया जाता है।

S. No.	Name of student	Branch	Sem.	Sign.
1	Amardeep Sahu	Civil	7th	
2	Ved Prakash	ET&T	7th	
3	Gulshan Chandra	B. Pharmacy	4th	<i>Gulshan</i>
4	Ghanshyam Sahu	B. Pharmacy	4th	
5	Amit Rajput	EEE	7th	
6	Kamal Kishore	Civil	7th	<i>Kamal</i>

2. छात्र मयंक लाडे, बी.कॉम तृतीय वर्ष एवं तुषार साहू के संबंध में निर्णय लिया गया है कि संबंधित छात्रों के अभिभावक जब तक अनुशासन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तब तक कक्षाओं एवं छात्रावास से निलंबित रहेंगे।
3. छात्र कमल किशोर एवं अमित राजपूत को अपने अभिभावकों के साथ 3 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से उपस्थित होना है अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित छात्रों द्वारा भविष्य में इस तरह की कोई भी शिकायत पाये जाने पर महाविद्यालय से बर्खास्त किया जायेगा।

1) Mayank Lade :- *Mayank Lade*

2) Tushar Sahu :- *Tushar Sahu*

J. Anil
अध्यक्ष

अनुशासन समिति
चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस
बिलासपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य, सीईसी, बिलासपुर।
3. प्राचार्य, एसओपी, सीईसी, बिलासपुर।
4. ओएसडी, चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, बिलासपुर।
5. प्रशासनिक अधिकारी/रजिस्ट्रार, चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, बिलासपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष, चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, बिलासपुर।
7. छात्रावास अधीक्षक, चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, बिलासपुर।
8. नोटिस बोर्ड, सीईसी एवं एसओपी, सीईसी, बिलासपुर।
9. थाना प्रभारी, तोरवा थाना, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।



चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस

लाल खदान मस्तूरी रोड, बिलासपुर (छ.ग.) 495004 फोन: 7746099991, 7746099992

Date: 28.09.2022

अनुशासन समिति की बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 26.09.2022 को "विश्व फार्मासिस्ट डे" कार्यक्रम में तथा कालेज परिसर के बाहर होम्योपैथी बिल्डिंग के सामने छात्रों अमरदीप साहू, कमल किशोर, वेद प्रकाश, अमित राजपुत, गुलशन चंद्रा, धनश्याम साहू, मयंक लडे, तुषार साहू द्वारा छात्रावास के अन्य छात्रों के साथ मिलकर फार्मसी के प्राध्यापक श्री भूपेंद्र पटेल की घेराबंदी की गयी तथा घोर अनुशासनहीनता करते हुए अभद्रता की गई।

अनुशासन समिति द्वारा प्रकरण की विस्तृत जांच दिनांक 27.08.2022 को की गयी। जांच के दौरान संलग्न प्रत्येक विद्यार्थी का बयान एवं प्रति परीक्षण हुआ।

समिति द्वारा संलग्न प्रत्येक विद्यार्थी के अभिभावकों को दिनांक 28.09.2022 को बुलाया गया जिसमें कुछ अभिभावक अनुपस्थित थे उपस्थित अभिभावकों को प्रकरण की विस्तृत जानकारी दी गई। महाविद्यालय के किसी भी छात्र द्वारा किसी भी प्राध्यापक की सुनियोजित तरीके से घेराबंदी करना अनुचित है और यह घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

अनुशासन समिति द्वारा दोषी पाये गये उक्त सभी विद्यार्थियों के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिया गया।

1. छात्रों अमरदीप साहू, वेद प्रकाश, गुलशन चंद्रा एवं धनश्याम साहू को दिनांक 29.09.2022 से 08.10.2022 (10 दिन) तक कक्षा से निलंबित किया जाता है तथा छात्रावास में निवासरत छात्रों को छात्रावास दिनांक 30.09.2022 तक अनिवार्य रूप से रिक्त कराने का निर्णय लिया गया।
2. छात्र कमल किशोर एवं अमित राजपूत को दिनांक 29.09.2022 से 15.10.2022 तक कक्षा से निलंबित किया जाता है तथा साथ ही दिनांक 30.09.2022 तक छात्रावास अनिवार्य रूप से रिक्त कराने का निर्णय लिया गया।
3. छात्र मयंक लाडे एवं तुषार साहू को अपने-अपने अभिभावकों को अनुशासन समिति के समक्ष उपस्थित होने तक कक्षाओं से निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

श्री शरद कुमार कौशिक
ओएसडी

डॉ. शुभलक्ष्मी तिवारी
विभागाध्यक्ष, सिविल

श्री जे.पी. सिंह


छात्रावास अधीक्षक

डॉ. संजय पाण्डेय
प्राचार्य, सीईसी

श्री ए.के. जैन
विभागाध्यक्ष, ईईई

डॉ. डी.के. अहिरवार
प्राचार्य, एसओपी

श्री अमित पाण्डेय
सहा. प्राध्या., ईटीएण्डटी



कार्यालय प्राचार्य चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज

NH- 49 मस्तूरी रोड, लाल खदान, बिलासपुर (छ.ग.)495004 फोन:7746099991,7746099992

NO. /CEC/OC/2023/

Date : 06/12/2023

06.12.2023 के गठित विशेष अनुशासन समिति का Techno-A-Tech 6.0 2023 के दौरान अनुशासनहीनता पर निर्णय

Techno-A-Tech 6.0 2023 में अनुशासनहीनता में लिप्त सभी विद्यार्थियों को बुलाकर उनसे बयान लिया गया। सभी बयानों के सूक्ष्मता से अध्ययन एवं जांच करने पर दिनांक 06/12/2023 को गठित अनुशासन समिति ने पाया कि अनुराग तिवारी, अमन सिंह, अमन सिंह राजपुत, सी.एच. आदर्श, एक गुट में थे। जिन्होंने शुभम यादव एवं उनके साथी जो कि Dr. C.V. Raman University के विद्यार्थी है, जिनकी करण निषाद एवं उनके साथियों के साथ मनीष नायक एवं योगेश कुमार तथा बाहर के कुछ लड़के जिसमें हर्ष सिंह के साथ शामिल होकर हाथा-पायी, वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़ा हुआ जिसमें कॉलेज की अनुशासन भंग हुई तथा माहौल को खराब करते हुये कार्यक्रम की गरिमा धुमिल की गई।

इस कमेटी में यह पाया कि मुख्य रूप से करण निषाद के साथ झगड़े की शुरुआत हुई तथा हर-एक झगड़े में करण निषाद सम्मिलित रहा। अतः करण निषाद के उपर सख्त कार्यवाही करते हुये भारी आर्थिक दंड या निष्कासन की कार्यवाही करने की अनुशंसा करती है। साथ ही इस कमेटी को सभी के बयानों से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अमन कुमार सिंह के द्वारा भी समान रूप से अनुशासनहीनता में सहभागिता थी। अतः आर्थिक दंड/निष्कासन की अनुशंसा करती है।

शेष सभी विद्यार्थी जिसमें योगेश कुमार, रिषभ कुमार कुर्रे, मनीष नायक, सी.एच. आदर्श, अमन सिंह राजपुत एवं अनुराग तिवारी उन्हें 15 दिनों के लिये महाविद्यालय से निलंबित करने की अनुशंसा करते है। निलंबन की अवधि के कारण किसी भी विद्यार्थी की उपस्थिति कम होने पर उपस्थिति पूरा करने की जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी।

इस दौरान महाविद्यालय परिसर एवं आसपास प्रवेश वर्जित रहेगा। तथा इसके निलंबन की सूचना इसके अभिभावक/पालक को भी किया जाना चाहिए। एवं इनके निलंबन की सूचना नाम व फोटो सहित सूचना-पटल पर चस्पा किया जाना चाहिये।

अनुशासन समिति :-

1. प्रो. शरद कुमार कौशिक - ओ.एस.डी।
2. डॉ. मंतोष सिन्हा - प्राचार्य सीसीएससी।
3. प्रो. जे.पी. सिंह - हॉस्टल अधीक्षक।
4. प्रो.अमित स्टीव हेनरी - विभागाध्यक्ष एम.बी.ए. एवं सीसीएससी।
5. प्रो. अनिश चांडी - विभागाध्यक्ष फार्मास्युटिक्स।
6. प्रो. एस.पी. श्रीवास- एन.सी.सी. अधिकारी।
7. प्रो. गंगोत्री यादव।
8. प्रो. पंकज कुमार
9. प्रो. पुर्णिमा बघेल
10. प्रो. विदिशा सरकार
11. डॉ. हनुमंत पाल



कार्यालय प्राचार्य चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज

NH- 49 मस्तूरी रोड, लाल खदान, बिलासपुर (छ.ग.)495004 फोन:7746099991, 7746099992

NO. /CEC/OC/2023/

Date :

06/12/2023 के गठित विशेष अनुशासन समिति के द्वारा TechnoA-Tech 6.0 के दौरान हुई अनुशासनहीनता पर

Techno-A-Tech 6.0 2023 में अनुशासनहीनता में लिप्त सभी विद्यार्थियों को बुलाकर उनसे बयान लिया गया। सभी बयानों के सूक्ष्मता से अध्ययन एवं जांच करने पर दिनांक 06/12/2023 को गठित अनुशासन समिति ने पाया कि अनुराग तिवारी, अमन सिंह, अमन सिंह राजपुत, सी.एच. आदर्श, एक गुट में थे। जिन्होंने शुभम यादव एवं उनके साथी जो कि Dr. C.V. Raman University के विद्यार्थी है, जिनकी करण निषाद एवं उनके साथियों के साथ मनीष नायक एवं योगेश कुमार तथा बाहर के कुछ लड़के जिसमें हर्ष सिंह के साथ शामिल होकर हाथा-पायी, वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़ा हुआ जिसमें कॉलेज की अनुशासन भंग हुई तथा माहौल को खराब करते हुये कार्यक्रम की गरिमा धूमिल की गई।

इस कमेटी में यह पाया कि मुख्य रूप से करण निषाद के साथ झगड़े की शुरुआत हुई तथा हर-एक झगड़े में करण निषाद सम्मिलित रहा। अतः करण निषाद के उपर सख्त कार्यवाही करते हुये भारी आर्थिक दंड या निष्कासन की कार्यवाही करने की अनुशंसा करती है। साथ ही इस कमेटी को सभी के बयानों से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अमन कुमार सिंह के द्वारा भी समान रूप से अनुशासनहीनता में सहभागिता थी। अतः आर्थिक दंड/निष्कासन की अनुशंसा करती है।

शेष सभी विद्यार्थी जिसमें योगेश कुमार, रिषभ कुमार कुर्रे, मनीष नायक, सी.एच. आदर्श, अमन सिंह राजपुत एवं अनुराग तिवारी उन्हें 15 दिनों के लिये महाविद्यालय से निलंबित करने की अनुशंसा करते है। इस दौरान महाविद्यालय परिसर एवं आसपास प्रवेश वर्जित रहेगा। तथा इसके निलंबन की सूचना इसके अभिभावक/पालक को भी किया जाना चाहिए। एवं इनके निलंबन की सूचना नाम व फोटो सहित सूचना-पटल पर चस्पा किया जाना चाहिये।

अनुशासन समिति :-

1. श्री शरद कुमार कौशिक - ओ.एस.डी.।
2. डॉ. मंतोष सिन्हा - प्राचार्य सीसीएससी।
3. प्रो.अमित स्टीव हेनरी - विभागाध्यक्ष एम.बी.ए.एवं सीसीएससी।
4. प्रो. अनिश चांडी - विभागाध्यक्ष फार्मास्युटिक्स।
5. प्रो. एस.पी. श्रीवास- एन.सी.सी. अधिकारी
6. प्रो. गंगोत्री यादव - विभागाध्यक्ष फार्मास्युटिक्स।
7. प्रो. पंकज कुमार
8. प्रो. पुर्णिमा बघेल
9. प्रो. विदिशा सरकार
10. डॉ. हनुमंत पाल